

जुलवानियां में खाद बनकर तैयार, पैकिंग शुरू हुई

नगर निगम आयुक्त ने जुलवानियां ट्रेचिंग ग्राउण्ड का निरीक्षण कर शाखा प्रमुखों को दिए आवश्यक निर्देश, श्वान बधियाकरण की कार्रवाई भी तेज हुई

रतलाम 06 मार्च | स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर के वार्डों को जीरो वेस्ट बनाने के प्रयास भी अब तेज होने लगे हैं। कचरा सेग्रीकेशन की कार्रवाई के चलते शनिवार सुबह नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जुलवानियां ट्रेचिंग ग्राउण्ड का निरीक्षण कर यहां गीला कचरा निपटान की व्यवस्थाओं को देखा और स्वच्छ सर्वेक्षण में तैनात अमले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पाया गया कि यहां तैयार कम्पोज के तहत खाद की पैकिंग शुरू हो चुकी है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के वार्डों को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत पिछले दिनों वार्ड क्रमांक 7, 8, 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाना शुरू कर दिया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। उक्त वार्डों के घरों से गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रहण किया जा रहा है। गीले कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा रहा है। वही सूखा कचरा रिंग पिकर्स महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बना हुआ है।

जीरो वेस्ट के लिए चयनित वार्डों में नगर निगम को बेहतर परिणाम मिलने लगे हैं। शनिवार को इस प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया जुलवानिया पहुंचे और उन्होंने गीले कचरे को खाद के लिए उपयोगी बनाए जाने के लिए तैयार की गई खाद और इसकी पैकिंग की जानकारी ली।

श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड पर्यवेक्षकों के साथ कचरा निपटान कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों से भी स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत वार्डों में चल रहे कार्यों की सिलसिलेवार जानकारी ली।

इस मौके पर श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान में रतलाम शहर ओडीएफ प्लस-प्लस हो चुका है। इसी के चलते हमने स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम को फाईव स्टार रैंकिंग के लिए अप्लाई किया है। इन्ही कार्रवाईयों के चलते पूरे शहर के हर घर से सेग्रीकेटेड कचरा उठे जिसकी जुलवानिया में सही तरीके से प्रोसेसिंग हो। इसी के साथ हर वार्ड में सडकों, नालो, नालियों, बागीचों, सार्वजनिक आदि स्थलों की सफाई कार्य का सुपरविजन किया जा रहा है।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, इंजीनियर, झोन प्रभारी, पर्यवेक्षक सहित निगम अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन की राह होती है

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर में चल रहे स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों में नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सलाह दे रहे हैं विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ

रतलाम 06 मार्च | एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सफाई बेहद जरूरी है। स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब पहले अपने आस-पास स्वच्छता का माहौल बनाया जाए। स्वच्छ जीवन ही स्वस्थ जीवन जीने की राह है। डाक्टर भी अपने पास आ रहे मरीजों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत नगर निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया के निर्देश पर शहर के अनेक इलाकों में चल रहे स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों में आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी विभिन्न रोग विशेषज्ञों के माध्यम से कराया जा रहा है। ये सभी चिकित्सा

विशेषज्ञ महिला, पुरुष और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और उन्हें जरूरी दवाईयां मुहैया कराने के साथ ही अपने घर और आसपास की सफाई पर ध्यान देने की सीख दे रहे हैं।

शनिवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने शहर के आधा दर्जन कचरामुक्त स्थलों व स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों के दौरान स्वच्छता का संदेश देने वाले रांगोली का निर्माण कर आसपास के लोगों से दीपदान भी कराया है।

स्वच्छता जागरुकता आयोजन के तहत आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी.सिंह आदि नागरिकों से आव्हान कर रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने के प्रयासों में शामिल हो और फीडबैक के माध्यम से अपनी जानकारी सकारात्मक ढंग से दे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि गांधीजी ने भी कहा है कि हर आदमी को अपनी साफ – सफाई खुद करनी चाहिए क्योंकि साफ सफाई तो देश भक्ति के समान है। अगर आप ईश्वर का आशीर्वाद पाने चाहते हैं तो मन की पवित्रता के साथ – साथ अपने घर और मोहल्ले की स्वच्छता भी अनिवार्य है। एक स्वच्छ शरीर अस्वच्छ शहर में वास नहीं कर सकता इसी सोच के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया था।

उन्होंने कहा कि सामूहिक जीवन में सफाई आर्थिक सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समाज के सर्वगीण हित की दृष्टि से सफाई के बुनियादी तथ्यों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी सम्पत्ति आप की सेहत ही है। कहा भी जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है और स्वास्थ्य है तो सबकुछ है। इसलिए इस धन को प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त साफ – सफाई को नजर अंदाज मत कीजिए।

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिक दिखा रहे हैं रूचि वार्ड 7, 8, 17 व 19 में जीरो वेस्ट का कार्य निरंतर जारी सोमवार से वार्ड 3 व 18 में भी जीरो वेस्ट का कार्य प्रारंभ होगा स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रतिदिन मिल रहा है रोजगार

रतलाम 06 मार्च | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 7, 8, 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस संबंध में बैठक लेकर वार्ड क्रमांक 7, 8, 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने हेतु 06 मार्च शनिवार को किये गये कार्यों की जानकारी नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारी, इंजीनियर, झोन प्रभारी, पर्यवेक्षक, वार्ड दरोगा, ड्रायवर व आईईसी टीम के सदस्यों से लेकर निर्देशित किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाये। साथ ही नागरिकों को भी इस कार्य में जोड़े ताकि पुरे रतलाम शहर को जीरो वेस्ट रतलाम बनाकर स्वच्छता के क्षेत्र में रतलाम को नम्बर 1 बनाया जा सके।

वार्ड क्रमांक 7, 8, 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता व नागरिकों के उत्साह को देखते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने जीरो वेस्ट वार्ड में 2 वार्ड ओर शामिल किये जिसके तहत वार्ड 3 व 18 में 08 मार्च सोमवार से कार्य प्रारंभ किया जायेगा जिसमें वार्ड के 100 प्रतिशत घरों से गीले व सूखा कचरा पृथक-पृथक लिया जायेगा व स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा वार्ड में ही एक स्थान पर छटनी की जाकर कबाड़ी को विक्रय किया जायेगा जिससे स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को काम मिलने के साथ दो नो वार्ड जीरो वेस्ट होकर स्वच्छ व सुन्दर बनेंगे।

बैठक में बताया गया कि जीरो वेस्ट वार्डों में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पहुंची वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के

सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने घर-घर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर कबाड़ी को तौलकर विक्रय किया गया।

बैठक में बताया गया कि वार्ड क्रमांक 7, 8, 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का कार्य 100 प्रतिशत सफल रहा। वार्डों के प्रत्येक घरो से गीले एवं सूखे कचरे को दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा पृथक पृथक लिया गया जिसमें नागरिकों ने उत्साह से सहयोग किया। सूखे कचरे से 6 मार्च को वार्ड क्रमांक 7 में 548, वार्ड क्रमांक 8 में 644, वार्ड क्रमांक 17 में 120 व वार्ड क्रमांक 19 में 680 रुपये स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्राप्त हुए।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रोन, ग्लब्स, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नगर को गारबेज फ्री सिटी बनाने के लिये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालो पर जुर्माना किये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि सभी सड़को की स्वीपिंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वीपिंग करवाई जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सौलकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, श्री एम.के. जैन, श्री अरविन्द दशोत्तर, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री बी.एल. चावरे, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया, श्री अनील पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, दरोगा आदि उपस्थित रहे।

दिव्यांगजनों के उपकरण व कृत्रिम अंग हेतु आज शिविर का आयोजन

विधायक सभागृह में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित होगा शिविर

रतलाम 06 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दिव्यांगजन को उपकरण एवं कृत्रिम अंग तथा वृद्धजनों को सहायक उपकरण प्रदाय किये जाने हेतु 07 मार्च रविवार को विधायक सभागृह में प्रातः 11:00 बजे से शिविर का आयोजन किया गया है।

नगर निगम द्वारा अपील की जाती है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवास करने वाले दिव्यांगजन तथा वृद्धजन जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से किसी भी स्रोत से निःशुल्क उपकरण प्राप्त नहीं किये हैं वे उपकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, कृत्रिम अंग हेतु आयोजित शिविर में आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड, दिव्यांग प्रमाण-पत्र फोटो, समग्र आईडी लेकर उपस्थित हों। इसी शिविर में नशाग्रस्त व्यक्तियों का चिन्हांकन एवं काउंसलिंग भी की जायेगी।

**गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन
50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित
उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड**

रतलाम 06 मार्च । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत श्रीमाल बाजार बाजना बस स्टैण्ड पर 2000, प्रवीण चमारिया नाका, मुस्तिचार, शाहरूख पावर हाउस रोड व दो अन्य पर 250-250, मनोज बाजना बस स्टैण्ड व चमारिया नाका मे एक अन्य पर 100-100 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ्रूट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 32 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 06 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 06 मार्च शनिवार को बिना सूचना के 32 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

पैलेस रोड पर सोमवार से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 46,37,144/- संपत्तिकर व 10,45,800/- जलकर जमा कराया

रतलाम 06 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्प्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/- व जलकर 66,715/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/- व जलकर 34,340/-, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/- व जलकर 44,230/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,07,000/- व जलकर 33,940/-, जूनी कोर्ट किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 1,84,000/- व जलकर 56,350/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 86,000/- व जलकर 35,140/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,16,000 व जलकर 57,670/-, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 69,000/- व जलकर 21,185/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 47,06,144/- संपत्तिकर व 10,66,985/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन

नागरिक भी गंदगी करने वालों की सूचना दल को दें

रतलाम 06 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे, मनोज

झांझोट, राकेश ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 713 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 06 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 06 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 713 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 05 मार्च शनिवार को चांदनी चौक व घांस बाजार से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 06 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 06 मार्च | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 06 मार्च | रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 06 मार्च | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टूटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार

कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/06.03.2021/न.पा.निगम, रतलाम.